

प्रपत्र-12
(देखें नियम 42)
नाम निर्देशन का प्रपत्र
नाम निर्देशन पत्र

समय = 12.15
Date = 22/09/22
1
माम

*नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत 73R/19/14 से वार्ड संख्या 33 से पार्षद
*नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत X से उप मुख्य पार्षद
*नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत X से मुख्य पार्षद
मैं (प्रस्तावक का नाम) शबनम आरा अख्तुल खालिक नगर निगम/
73R/19/14 पार्षद के उपर्युक्त पद के लिए
*नगर परिषद/*नगर पंचायत

निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी का नाम शबनम आरा
पिता / माता / पति का नाम उरुन आलम
उम्र 36 वर्ष देहाद पता सादपुरा, मुबारकपुर
अभ्यर्थी का नाम वार्ड संख्या 33 की मतदाता सूची के क्रमांक 200 पर दर्ज है।
प्रस्तावक का नाम अख्तुल खालिक
प्रस्तावक का नाम वार्ड संख्या 33 की मतदाता सूची के क्रमांक 2926 पर दर्ज है।
प्रस्तावक का हस्ताक्षर शबनम आरा
समर्थक का नाम मो. मौजिद
समर्थक का नाम वार्ड संख्या 33 की मतदाता सूची के क्रमांक 685 पर दर्ज है।
समर्थक का हस्ताक्षर मो. मौजिद

अभ्यर्थी की घोषणा

एतद् द्वारा मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं इस नाम निर्देशन से सहमत हूँ।

Shabnam Ara.
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

तिथि :- 22-09-22

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

क्रमांक 02

यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय (स्थान का नाम) उपर सराहना कार्यालय में दिनांक 22/09/22 को 12.15 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न अभ्यर्थी द्वारा दिया गया।

तिथि-

निर्वाची पदाधिकारी/समर्थक निर्वाची
पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नगर निगम, मुबारकपुर

प्रत्यक्ष-क

*नगर निगम/*नगर परिषद्/*नगर पंचायत नगर निगम के वार्ड संख्या ३३

कि मेरा नाम *नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत 75K/निजाग के वार्ड संख्या 33.....

की मतदाता सूची में मेरा नाम अंकित नहीं है। यह भी कि राज्य या राज्य के बाहर के अन्य किसी

या

क्रमांक	जिला का नाम	*नगर निगम/*नगर परिषद/*नगर पंचायत/ *ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	मतदाता सूची का क्रमांक
1	2	3	4	5
	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य

मैं इस नगर निकाय के अलावे किसी अन्य नगर निकाय/ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम रहने पर भी निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने का अधिकार एवं मतदाता के रूप में मताधिकार का उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।

Shabnam Aza.
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें